INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

पेपर-1

राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट

(कनिष्ठ लेखाकार एवं T.R.A. भर्ती परीक्षा)

HANDWRITTEN NOTES

भाग -1 हिंदी + अंग्रेजी + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान
जूनियर अकाउंटेंट
(कनिष्ठ लेखाकार एवं TRA परीक्षा हेतु)

पेपर – 1

भाग – 1

हिंदी + अंग्रेजी + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट (कनिष्ठ लेखाकार एवं TRA भर्ती परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को "**राजस्थान लोक सेवा आयोग**" द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट (कनिष्ठ लेखाकार एवं TRA)" की** परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें **/***

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती हैं / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/3ewvb9

Online Order करें - https://shorturl.at/dlvHQ

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

	हिन्दी	
क्र. सं.	अध्याय	पेज न.

क्र. सं.	अध्याय	पेज न.
1.	शब्द रचना • संधि एवं संधि विच्छेद	1
2.	समास एवं समास – विग्रह	13
3.	उपसर्ग	27
4.	प्रत्यय	32
5.	संज्ञा	39
6.	विशेषण	44
7.	क्रिया	47
8.	शब्द ज्ञान • पर्यायवाची शब्द	49
9.	विलोम शब्द	60
10.	शब्द – युग्म भिन्नार्थक शब्द	74
11.	वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द	83
12.	शब्द शुद्धि	97
13.	परसर्ग \ कारक	102
14.	लिंग	105
15.	वचन	107
16.	वाच्य	109
17.	वाक्य रचना एवं वाक्यों के प्रकार तथा पदबंध	110
18.	वाक्य – शुद्धि	115
19.	मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ	121
20.	पारिभाषिक : प्रशासनिक शब्दावली	133

	English	
क्र.सं.	**Chapter**	**पेज. न.**
1.	Time And Tense	150
2.	Active And Passive Voice	162
3.	Direct & Indirect Narration	169
4.	Transformatio Of Sentence	175
5.	Article	190
6.	Preposition	204
7.	Translation From Hindi To English	221
8.	Subject And Verb Agreement	229
9.	Degree	233
10.	Glossary Of Offical, Technical Terms (with their hindi versions)	246
11.	Antonyms / Synonyms	258
12.	One Word Substitution	272
13.	Prefix And Suffix	281
14.	Words Often Confused Or Misused	285
15.	Reading Comprehension	288
16.	Letter Writing	301

	राजव्यवस्था	
क्र. सं.	**अध्याय**	**पेज न.**
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था	305
2.	राज्यपाल	306
3.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद	314
4.	राज्य विधान मंडल व विधानसभा	323
5.	उच्च न्यायालय	333
6.	जिला प्रशासन	341
7.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	346
8.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	356
9.	राज्य मानवाधिकार आयोग	359
10.	लोकायुक्त	362
11.	राज्य निर्वाचन आयोग	365
12.	राज्य सूचना आयोग	367
13.	लोकनीति	372
14.	विधिक अधिकार	375
15.	नागरिक अधिकार – पत्र घोषणा	376

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

क्र.सं.	**अध्याय**	**पेज नं.**
1.	अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य	379

2.	कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे	390
3.	संवृद्धि, विकास एवं आयोजना	410
4.	आधारभूत – संरचना एवं संसाधन	412
5.	प्रमुख विकास परियोजनायें	416

हिंदी

अध्याय – 1

शब्द रचना

❖ संधि एवं संधि विच्छेद

परिभाषा :- दो वर्णों के परस्पर मेल से उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते है अर्थात् प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दुसरे का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन करते हैं । उसे संधि कहते हैं ।

संधि – 1.आदेश :- किसी वर्ण के स्थान पर कोई दुसरा वर्ण आ जाये तो ,

जगत्+ईश = जगदीश

वाक्+ईश = वागीश

2. आगम – अनु+छेद = अनुच्छेद (च)

3. लोप – अतः+एव = अतएव

4. प्रकृतिभाव - मनः+कामना = मनःकामना

संयोग – प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दुसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए तो उसे संयोग कहते हैं ।

उदाहरण : - युग + बोध = युगबोध

संधि के भेद – संधि के तीन भेद होते हैं

स्वर संधि   व्यंजन संधि   विसर्ग संधि

स्वर संधि – दो स्वरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं ।

स्वर संधि पाँच प्रकार की होती है :-

1. दीर्घ स्वर संधि
2. गुण स्वर संधि
3. वृद्धि स्वर संधि
4. यण् स्वर संधि
5. अयादि स्वर संधि

हिंदी में अ, आ, इ, ई , उ , ऊ , ए , ऐ , ओ , औ , ऋ , कुल 11 स्वर होते हैं ।

1. **दीर्घ स्वर संधि** - यदि हृस्व या दीर्घ स्वर (अ , इ , उ) के बाद समान हृस्व (अ , इ , उ) या दीर्घ स्वर आये तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं ।

उदा.
अ/आ +अ/आ = आ
इ/ई + इ/ई = ई
उ/ऊ + उ /ऊ = ऊ

(1).अ +अ =आ

अंत्य + अक्षरी = अंत्याक्षरी
अंध + अनुगामी = अंधानुगामी
अधिक + अंश = अधिकांश
अधिक + अधिक = अधिकाधिक
अस्त + अचल = अस्ताचल
आग्नेय + अस्त्र = आग्नेयास्त्र
उत्तर + अधिकार = उत्तराधिकार
उदय + अचल = उदयाचल
उप + अध्याय = उपाध्याय
उर्ध्व + अधर = उर्ध्वधर
ऊह + अपोह = ऊहापोह
काम + अयनी = कामायनी
गत + अनुगतिक = गतानुगतिक
गीत + अंजलि = गीतांजलि
छिद्र + अन्वेषी = छिद्रान्वेषी
जठर + अग्नि = जठराग्नि
जन + अर्दन = जनार्दन
तथ्य + अन्वेषण= तथ्यान्वेष्ण
तीर्थ + अटन = तीर्थाटन
दाव + अनल = दावानल
दीप + अवली = दीपावली
दाव + अग्नि = दावाग्नि
देश + अंतर = देशांतर
न्यून + अधिक = न्यूनाधिक
पद + अवनत = पदावनत
पर + अधीन = पराधीन
प्र + अंगन = प्रांगण
प्र + अर्थी = प्रार्थी
भग्न + अवशेष = भग्नावशेष

अ + आ = आ

आम + आशय = आमाशय
गर्भ + आधान = गर्भाधान
अन्य + आश्रित = अन्याश्रित
गर्भ + आशय = गर्भाशय
आर्य + आवर्त = आर्यावर्त
फल + आहार = फलाहार
कंटक + आकीर्ण = कंटकाकीर्ण
छात्र +आवास = छात्रावास
कुश + आसन = कुशासन
जन + आकीर्ण = जनाकीर्ण
खग + आश्रय = खगाश्रय
जना +देश =जनादेश
गमन + आगमन = गमनागमन
भय + आक्रान्त = भयाक्रांत

भय + आनक = भयानक
पित्त + आशय = पित्ताशय
धर्म + आत्मा = धर्मात्मा
भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार
मेघ + आलय = मेघालय
लोक + आयुक्त = लोकायुक्त
विरह + आतुर = विरहातुर
विवाद + आस्पद = विवादास्पद
शत + आयु = शतायु
शाक + आहारी = शाकाहारी
शोक + आतुर = शोकातुर
सत्य + आग्रह = सत्याग्रह
सिंह + आसन = सिंहासन
स्थान + आपन्न = स्थानापन्न
हिम + आलय = हिमालय
जल + आशय = जलाशय
पंच + आयत = पंचायत

आ + अ = आ

क्रिया + अन्वयन = क्रियान्वयन
मुक्ता + अवली = मुक्तावली
तथा + अपि = तथापि
रचना + अवली = रचनावली
दीक्षा + अंत = दीक्षांत
विद्या + अर्जन = विद्यार्जन
द्राक्षा + अरिष्ट = द्राक्षारिष्ट
श्रद्धा + अंजलि = श्रद्धांजलि
द्राक्षा + अवलेह = द्क्षावलेह
सुधा + अंशु = सुधांशु
निशा + अंत = निशांत
द्वारका + अधीश = द्वारकाधीश
पुरा + अवशेष = पुरावशेष
महा + अमात्य = महामात्य

आ + आ = आ

कारा + आगार = कारागार
कारा + आवास = कारावास
कृपा + आकांशी = कृपाकांशी
क्रिया + आत्मक = क्रियात्मक
चिंता + आतुर = चिंतातुर
दया + आनंद = दयानंद
द्राक्षा + आसव = द्राक्षासव
निशा + आनन = निशानन
प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार
प्रेरणा +आस्पद = प्रेरणास्पद
भाषा + आबद्ध = भाषाबद्ध
महा + आशय = महाशय

रचना + आत्मक = रचनात्मक
वार्ता + आलाप = वार्तालाप
श्रद्धा + आलु = श्रद्धालु

(2). इ / ई + इ /ई = ई

इ + इ = ई

अति + इत = अतीत
अति + इन्द्रिय = अतीन्द्रिय
अति + इव = अतीव
अधि + इन = अधीन
अभि + इष्ट =अभीष्ट
कवि + इंद्र = कविन्द्र
प्रति + इत = प्रतीत
प्राप्ति + इच्छा = प्राप्तीच्छा
मणि + इंद्र = मणीन्द्र
मुनि + इंद्र = मुनीन्द्र
रवि + इंद्र = रवीन्द्र
हरि + इच्छा = हरीच्छा

ई + इ = ई

फणी + इंद्र = फणीन्द्र
महती + इच्छा = महतीच्छा
मही + इंद्र = महींद्र
यती + इंद्र = यतीन्द्र
शची + इंद्र = सुधींद्र

ई + ई =ई

नदी + ईश्वर = नदीश्वर
नारी + ईश्वर = नारीश्वर
फणी + ईश्वर = फणीश्वर
मही + ईश = महीश
रजनी + ईश = रजनीश
श्री + ईश = श्रीश
सती + ईश = सतीश

इ + ई = ई

अधि + ईक्षक = अधीक्षक
अधि + ईक्षण = अधीक्षण
अधि + ईश्वर = अधीश्वर
अभि + ईप्सा = अभीप्सा
कपि + ईश = कपीश
क्षिति + ईश = क्षितीश
गिरी + ईश = गिरीश
परि + ईक्षित = परीक्षित
परि + ईक्षा = परीक्षा
प्रति + ईक्षा = प्रतीक्षा
प्रति + ईक्षित =प्रतीक्षित

मुनि + ईश्वर = मुनीश्वर
वारि + ईश = वारीश
वि + ईक्षक = वीक्षक
हरि + ईश = हरीश

दीर्घ संधि के अपवाद –
शक + अन्धु = शकंधु
कर्क + आन्धु = कर्कन्धु
पितृ + ऋण = पितृण
मातृ + ऋण = मातृण

(2).**गुण स्वर संधि** : -

अ /आ + इ/ई =ए
अ /आ + उ / ऊ = ओ
अ / आ + ऋ = अर्

नियम :- 1. यदि अ / आ के बाद इ / ई आऐ तो दोनों के स्थान पर 'ए ' हो जाता है ।

जैसे – अ / आ + इ / ई = ए

2. यदि अ / आ के बाद उ / ऊ आए तो दोनों के स्थान पर 'ओ' हो जाता है।
जैसे - अ / आ + उ /ऊ =ओ

3. यदि अ / आ के बाद 'ऋ' आए तो दोनों के स्थान पर 'अर् 'हो जाता है।

जैसे – अ / आ + ऋ = अर्

अ + इ = ए
अंत्य + इष्टि = अंत्येष्टि
अल्प + इच्छा = अल्पेच्छा
इतर + इतर = इतरेतर
उप + दिष्टा = उपदेष्टा
कर्म + इन्द्रिय = कर्मेन्द्रिय
गज + इंद्र = गजेन्द्र
जित + इन्द्रिय = जितेन्द्रिय
देव + इंद्र = देवेन्द्र
न + इति = नेति
प्र + इषिति = प्रेषिति
भारत + इंदु = भारतेंदु
भोजन + इच्छुक = भोजनेच्छुक
मम + इतर = ममेतर
मत्स्य + इंद्र = मत्स्येन्द्र
मानव + इतर = मानवेतर
मृग + इंद्र = मृगेन्द्र
योग + इंद्र = योगेंद्र

वाच + इतर = वाचेतर
शब्द + इतर = शब्देतर
शुभ + इच्छा = शुभेच्छु
साहित्य + इतर = साहित्येतर
स्व + इच्छा = स्वेच्छा
हित + इच्छा = हितेच्छा

अ + ई = ए
अंक + ईक्षण = अंकेक्षण
अप + ईक्षा = अपेक्षा
उप + ईक्षा = अपेक्षा
नर + ईश = नरेश
परम + ईश्वर = परमेश्वर
प्र + ईक्षक = प्रेक्षक
योग + ईश्वर = योगेश्वर
सर्व + ईश्वर = सर्वेश्वर
सिद्ध + ईश्वरी = सिद्धेश्वरी

आ + इ = ए
महा + इंद्र = महेंद्र
यथा + इच्छा = यथेच्छ
यथा + इष्ट = यथेष्ट
रसना + इन्द्रिय = रसनेन्द्रिय
सुधा + इंदु = सुधेंदु

आ + ई = ए
गुडाका + ईश = गुडाकेश
महा + ईश्वर = महेश्वर
रमा + ईश = रमेश
राका + ईश = राकेश

अ / आ + उ /ऊ = ओ

अ+ उ = ओ

अंत्य + उदय = अंत्योदय
अतिशय + उक्ति = अतिश्योक्ति
अन्य + उक्ति = अन्योक्ति
अन्य + उदर = अन्योदर
अन्यान्य + उपाय = अन्यान्योपय
अवसर + उचित = अवसरोचित
आत्म + उत्सर्ग = आत्मोत्सर्ग
आद्य + उपांत = आद्योपांत
आनंद + उत्कर्ष = आंन्दोत्कर्ष
उत्तर + उत्तर = उत्तरोतर
कथ + उपकथन = कथोपकथन
ग्राम + उत्थान = ग्रामोत्थान

प्रति + ऊह = प्रत्यूह (बाधा)
वि + ऊह (विचार) = व्यूह

इ + ए = ये

प्रति + एक = प्रत्येक

ई + अ = य

देवी + अर्पण = देव्यर्पण
नदी + अर्पण = नद्यर्पण

ई + आ = या

नदी + आमुख = नद्यामुख
मही + आधार = मध्याधार
सखी + आगमन = सख्यागमन

ई + उ = यु

नारी + उद्धार = नार्युद्धार
नारी + उचित = नार्युचित
स्त्री + उचित = स्त्र्युचित
स्त्री + उपयोगी = स्त्र्युपयोगी

ई + ऐ = यैं

देवी + ऐश्वर्य = देव्यैंश्वर्य

उ + अ = व

अनु +अय = अन्वय
तनु + अंगी = तन्वंगी
परमाणु + अस्त्र = परमाणवस्त्र
मधु + अरि = मध्वरि
मनु + अंतर = मन्वंतर
सु + अल्प = स्वल्प
सु + अस्ति = स्वस्ति

उ + आ = वा

गुरु + आदेश = गुर्वादेश
मधु + आचार्य = मध्वाचार्य
साधु + आचरण = सध्वाचरण
साधु + आचार = साध्वाचार
सु + आगत = स्वागत

उ + इ = वि

अनु + इष्ट = अन्विष्ट
अनु + इति = अन्विति
धातु + इक = धात्विक

उ + ई = वी

अनु + ईक्षण = अन्वीक्षण
अनु + ईक्षा = अन्वीक्षा

उ + ए = वे

अनु + एषण = अन्वेषण
अनु + एषक = अन्वेषक

उ + ओ = वो

लघु + ओष्ठ = लघ्वोष्ठ

ऊ + अ = व

वधू + अर्थ = वध्वर्थ

ऊ + आ = वा

वधू + आगमन = वध्वागमन

ऋ + असमान स्वर = र् + अन्य स्वर

ऋ+ अ = र

पितृ + अनुमति = पित्रनुमति

ऋ + आ = रा

पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा
पितृ + आदेश = पित्रादेश
मातृ + आनंद = मात्रानंद
मातृ + आज्ञा = मात्राज्ञा

ऋ + इ = रि

पितृ + इच्छा = पित्रिच्छा
मातृ + उपयोगी = मात्रुपयोगी

ऋ + ए = रे

पितृ + एषणा = पित्रेषणा
मातृ + एषणा = मात्रेषणा
पुत्र + एषणा = पुत्रेषणा

5. अयादि स्वर संधि : -

ए / ऐ = अय् / आय्

ओ / औ = अव् / आव्

नियम : - यदि ए , ऐ , ओ ,औ के बाद कोई भी स्वर आए तो 'ए' के स्थान पर 'अय्' तथा 'ऐ' के स्थान पर 'अय्' तथा ओ के स्थान पर 'अव्' व 'औ' के स्थान पर 'आव्' हो जाता है ।

ए + असमान स्वर = आय् + अन्य स्वर

ए+ अ = अय

चे + अन = चयन
ने + अन = नयन
शे + अन = शयन
संचे + अ = संचय

ऐ + अ = आय

गैं + अक = गायक
गैं + अन = गायन
नैं + अक = नायक
नैं + इका = नायिका

दै + इनी = दायिनी
दै + अक = दायक
विनै + अक = विनायक
शै + अक = शायक

ओ + अ = आव

ओ + अ = अवि
ओ + इ = अवी
गो + अक्षि / अक्ष = गवाक्ष
गो + ईश = गवीश
गो + य = गव्य
पो + अन = पवन
भो + अन = भवन
हो + अन = हवन

औ + अ = आव

पौ + अन = पावन
भौ + अ = भाव
भौ + अक = भावक
भौ + अना = भावना
शौ + अक = शावक

औ + इ = आवि

शौ + अ=इक = शाविक

औ + उ = आवु

भौ + उक = भावुक

(2). व्यंजन संधि

व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं।

नियम : - यदि किसी अघोष व्यंजन(वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण) के बाद कोई घोष व्यंजन (वर्ग का तीसरा , चौथा , पांचवा , वर्ण तथा य ,र, ल,व ,ह (अंतःस्थ वर्ण) या कोई स्वर आये तो वर्ग का पहला वर्ण , तीसरे वर्ण में बदल जाता है।

जैसे : -

क् → ग्
च् → ज्
ट् → + घोष वर्ण → ड्
त् → द्
प् → ब

षट् + आनन = षडानन
षट् + दर्शन = षड्यंत्र

उदाहरण :-

दिक् + अम्बर = दिगंबर
दिक् + अंत = दिगंत
दृक + अंचल = दृग्चल
वाक् + ईश = वागीश
प्राक् + ऐतिहासिक = प्रागैतिहासिक
दिक् +गज = दिग्गज
दिक् + ज्ञान = दिग्ज्ञान
वाक् + जाल = वाग्जाल
वाक् + दत्ता = वाग्दत्ता
वाक् + दान = वाग्दान
चित् + रूप = चिद्रूप
सत् +रूप = सद्रूप
चित् + विलास = चिद्विलास
वाक् + देवी = वाग्देवी
सम्यक् + दर्शन = सम्यग्दर्शन
दिक् + बोध = दिग्बोध
दिक् + भ्रम = दिग्भ्रम
ऋक् +वेद = ऋग्वेद
दिक् + विजय = दिग्विजय
सम्यक् + वाणी = सम्यग्वाणी
दिक् + हस्ती = दिग्हस्ती
वाक् + हरि = वग्हरि
अच् + अंत = अजंत
विराट् + आकार = वीराडाकार
षट् + अंग = षडंग
अप् + ज = अब्ज
अप् + द = अब्द
अप् + धि = अब्धि
जगत् + अंबा = जगदंबा
चित् + अणु = चिदणु
चित् + आकार = चिदाकार
जगत् + आत्मा = जगदात्मा
वृहत् + आकार = वृहदाकर
सत् + आचार = सदाचार
सत् + आत्मा = सदात्मा
सत् + आनंद = सदानंद
सत् + आशय = सदाशय
सत् + इच्छा = सदिच्छा
जगत् + ईश = जगदीश
सत् + उपयोग = सदुपयोग
सत् + उपदेश = सदुपदेश
सत् + गति = सद्गति
जगत् + गुरु = जगद्गुरू
सत् + गुण = सद्गुण
पोत् + दार = पोद्दार
विद्युत् + धारा = विद्युद्धारा
सत् + धर्म = सद्धर्म

नियम : -(2) यदि वर्ग के प्रथम वर्ण (क् , च् , ट् , त् , प्) के बाद न् या म् आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पाँचवें वर्ण में बदल जाता है।

मनः + मंथन = मनोमंथन
मनः + रथ = मनोरथ
मनः + रम = मनोरम
शिरः + धार्य = शिराधार्य
शिरः + भाग = शिरोभाग

नियम (2) :- यदि विसर्ग(:) से पहले 'अ' को छोड़कर अन्य कोई स्वर तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा , चौथा, पाँचवा या अन्तस्थ वर्ण या कोई स्वर आए तो विसर्ग का 'र' हो जाता है ।

- इः / ईः/उः + घोष व्यंजन = विसर्ग

आयुः + वेद = आयुर्वेद
आविः + भाव = आविर्भाव
आविः + भूत = आविर्भूत
आशीः + वाद = आशीर्वाद
चतुः + दिशा = चतुर्दिशा
धनुः + ज्ञान = धनुर्ज्ञान
धनुः + वेद = धनुर्वेद
प्रादुः + भाव = प्रादुर्भाव
बहिः + भाग = बहिर्भाग
बहिः + मुखी = बहिर्मुखी
स्वः + ग = स्वर्ग(अपवाद)
धनुः + धनुर्धारी

नियम (3) :- यदि इः/उः के बाद क/ प / म / आए तो विसर्ग का 'ष' वर्ण हो जाता है ।
उदाहरण –
आविः + कार = अविष्कार
चतुः + कोण = चतुष्कोण
चतुः + कष्ठ = चतुष्कष्ठ
आयुः + मती = आयुष्मती
चतुः + पद = चतुष्पद
चतुः + पथ = चतुष्पथ
चक्षुः + मान = चक्षुष्मान
ज्योतिः + मती = ज्योतिष्मती
बहिः + कृत = बहिष्कृत
बहिः + कार = बहिष्कार
वपुः + मान = वपुष्मान

नियम (4) :- यदि विसर्ग के बाद च , छ , श आए तो विसर्ग 'श' में बदल जाता है ।
उदाहरण –
अंतः + चेतना = अंतश्चेतना
आः + चर्य = आश्चर्य
कः + चित् = कश्चित्
तपः + चर्या = तपश्चर्या
पुरः + चरण = पुरश्चरण
मनः + चेतना = मश्चेतना
यशः + शरीर = यशश्शरीर
यशः + शेष = यशश्शेष

(2). विसर्ग + मूर्धन्य अघोष व्यंजन (ट) आए तो विसर्ग का 'ष्' हो जाता है।
उदाहरण –
धनुः + टंकार = धनुष्टंकार

(3). यदि विसर्ग + दन्त्य अघोष व्यंजन (त, स) के बाद विसर्ग का 'स' हो जाता है ।

नोटः- : + त = स्त

उदाहरण –
मनः + ताप = मनस्ताप
नमः + ते = नमस्ते
शिरः + त्राण = शिरस्त्राण
चतुः + सीमा = चतुस्सीमा
प्रातः + स्मरण = प्रातस्स्मरण
पुरः + सर = पुरस्सर

नियम (5) :- यदि अः / आः के बाद क / प आए तो विसर्ग का 'स' हो जाता है ।

: + क = स्क

उदाहरण – तिरः + कार = तिरस्कार
नमः + कार = नमस्कार
पुरः + कार = पुरस्कार
पुरः + कृत = पुरस्कृत
भाः + कर = भास्कर
श्रेयः + कर = श्रेयस्कर
परः +पर = परस्पर
बृहः + पति = बृहस्पति
भाः + पति = भास्पति
वाचः + पति = वाचस्पति

नियम (6). यदि विसर्ग के बाद 'र्' वर्ण आए तो विसर्ग से पहले लघु मात्रा की दीर्घ मात्रा में बदल देते हैं तथा विसर्ग का लोप हो जाता है ।
उदाहरण –
निः + रस = नीरस
निः + रोग = नीरोग
निः + रव = नीरव
दुः + राज = दूराज

अध्याय – 6

विशेषण

किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, अर्थात् जो विशेषता बताने वाले शब्द होते है, विशेषण कहलाते हैं ।

जैसे - नील गगन, काली गाय, सुन्दर बच्चा, अमीर आदमी, दयालु औरत, कश्मीरी सेब, होशियार लड़का इत्यादि ।

विशेष्य -

विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती हैं, उसे विशेष्य कहलाते है ।

जैसे - गगन, गाय, बच्चा, आदमी, औरत, सेब, लड़का इत्यादि ।

प्रविशेषण - विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, प्रविशेषण कहलाते हैं ।

जैसे –

वाक्य	प्रविशेषण	विशेषण	विशेष्य
अत्यन्त नीला गगन	अत्यन्त	नीला	गगन
बहुत मोटा आदमी	बहुत	मोटा	आदमी

विशेषण के दो भेद:-
1. उद्देश्य विशेषण
2. विधेय विशेषण

1. उद्देश्य विशेषण:- विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य / विशेषण कहते हैं ।
जैसे लाल टमाटर, हरा धनिया, नीहारिका सुंदर लड़की हैं ।

2. विधेय विशेषण:- विशेष्य / संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण विधेय/विशेषण कहलाता हैं ।
जैसे -
- वह लड़की सुंदर हैं । लड़की – संज्ञा
- यह गाय काली हैं । सुन्दर – विशेषण
- वे फल मीठे हैं ।
- यह पानी शीतल हैं ।

विशेषण के भेद:- पाँच भेद
1. गुणवाचक विशेषण
2. संख्यावाचक विशेषण
3. परिमाणवाचक विशेषण
4. सार्वनामिक/संकेतवाचक/निर्देशवाचक विशेषण
5. व्यक्तिवाचक विशेषण

1. गुणवाचक विशेषण -
वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं । गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं ।
जैसे - सुन्दर लड़का, काला कोट, कमजोर बच्चा, झगडालु औरत, ईमानदार आदमी, मोटा लड़का, गरीब आदमी, पूर्वी मकान इत्यादि ।

2. संख्यावाचक विशेषण -
वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा/सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं ।
जैसे - एक लड़का, दो कबूतर, तीन गायें, कुछ लड़कियाँ, बहुत बकरियाँ कुछ पुस्तकें, ज्यादा पंखे इत्यादि ।
संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं -
1. **निश्चित संख्यावावक विशेषण**
2. **अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण**

1. **निश्चित संख्यावाचक विशेषण** - वे विशेषण शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं ।
जैसे - एक आम, दो केले, तीन घड़ियाँ , चार कुर्सियाँ, पाँच कुत्ते इत्यादि
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद -
1. गणनावाचक - एक, दो, तीन, चार ....
2. क्रमवाचक - पहला, दूसरा, तीसरा ....
3. आवृत्ति वाचक - दुगुना, तिगुना, चौगुना ....
4. समुदाय/समूहवाचक - दोनों, तीनों, चारों...........
5. प्रत्येक सूचक - प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, हर घड़ी, हर माह, हर दिन इत्यादि ।

1. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं - जैसे - थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा, थोड़े लड़के, ज्यादा लड़कियाँ, बहुत गायें, कम बकरियाँ, कुछ कुर्सियाँ इत्यादि ।

2. परिमाण वाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप,माप,तौल इत्यादि का बोध कराते हैं, परिणाम-वाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे - दो मीटर कपड़ा, तीन लीटर दूध, पाँच किलो आटा, थोड़ा घी, ज्यादा पानी इत्यादि ।

परिमाण वाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं -

1. निश्चित परिमाणवाचक

2. अनिश्चित परिमाणवाचक

1. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे - एक मीटर रस्सी, दो लीटर पानी, तीन किलो सेब, पाँच किलो चावल।

2. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप, तौल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं -

जैसे - थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा-सा इत्यादि थोड़ा कपड़ा, बहुत घी, कम चीनी, ज्यादा पानी, जरा-सा नमक।

3. सार्वनामिक विशेषण / संकेतवाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरन्त पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं अर्थात् जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो या सर्वनाम के तुरन्त बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो वह, सार्वनामिक विशेषण कहलाता हैं।

जैसे -

1. इस पुस्तक को पढ़ो।
2. उस गेंद से खेलो।
3. यह घड़ी मेरी हैं।
4. वह लड़का मेरा भाई है।
5. इस पेन से लिखो।
6. उस चाकू से काटो।

सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर – यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम कहलाता हैं लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरन्त पहले प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता हैं।

जैसे- 1. इससे खेलो। (सर्वनाम)

2. इस बॉल से खेलो। (सार्व.वि.)

3. यह पढ़ो। (सर्वनाम)

4. यह पत्र पढ़ो। (सार्व. वि.)

4. व्यक्तिवाचक विशेषण - व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लें अर्थात् व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता हैं - जैसे -

1. जयपुर - जयपुरी रजाइयाँ
2. जोधपुर - जोधपुरी साफे
3. बीकानेर - बीकानेरी रसगुल्ले
4. कश्मीर - कश्मीरी केसर
5. नागौर - नागौरी बैल
6. गुजरात - गुजराती ढ़ोकला

विशेषण की अवस्थाएं - तीन अवस्थाएं

1. मूलावस्था / सामान्यावस्था - जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता हैं तो वह विशेषण की सामान्यावस्था कहलाती हैं।

जैसे – 1. मोहन होशियार बालक है।

2. अमरूद अच्छा फल है।

3. सचिन श्रेष्ठ खिलाड़ी है।

4. जोधपुर सुंदर है।

2. मध्यमावस्था/तुलनावस्था/उत्तरावस्था - जब दो व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों के बीच तुलना की जाती हैं और इसमें दो विशेष्य प्रयुक्त हों विशेषण की मध्यमा/तुलना/उत्तरावस्था कहलाती हैं।

जैसे - 1. मोहन सोहन से होशियार है।

2. अमरूद आम से अच्छा फल है।

3. सचिन राहुल से श्रेष्ठतर खिलाड़ी है।

3. उत्तमावस्था - जब किसी विशेषण के द्वारा दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच तुलना की जाती हैं और सबसे अधिक का निर्धारण किया जाता हैं, विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती हैं।

जैसे -

1. मोहन कक्षा में सबसे होशियार है।
2. फलों में सर्वश्रेष्ठ फल अमरूद है।
3. सचिन टीम में श्रेष्ठतम खिलाड़ी है।

विशेषण का निर्माण निम्नलिखित से किया जा सकता हैं -

1. **संज्ञा से विशेषण निर्माण -**

- किताब - किताबी
- ईर्ष्या - ईर्ष्यालु
- दया - दयालु
- काम - कामुक
- ग्राम - ग्रामीण
- अनुभव - अनुभवी
- कागज - कागजी
- अविष्कार - अविष्कृत
- अध्यात्म - आध्यात्मिक
- दुःख - दुःखी
- सुख - सुखी
- आदर - आदरणीय

2. सर्वनाम से विशेषण निर्माण -

- यह - ऐसा
- वह - वैसा
- मैं - मुझसा
- तुम - तुमसा

अध्याय – ९

विलोम शब्द

"अ"

अकाल	सुकाल
अगम	सुगम
अग्र	पश्च
अग्रज	अनुज
अघ	अनघ
अघोष	सघोष
अतिथि	आतिथेय
अतल	वितल
अथ	इति
अर्थ	अनर्थ
अनन्त	अन्त
अनुग्रह	दण्ड,कोप
अन्तर्द्वन्द्व	बहिर्द्वन्द्व
अनिवार्य	ऐच्छिक
अन्तरंग	बहिरंग
अनुकूल	प्रतिकूल
अनुराग	विराग
अनुरूप	प्रतिरूप
अनुलोम	प्रतिलोम
अधम	उत्तम
अतिवृष्टि	अनावृष्टि
अनुरक्त	विरक्त
अल्पप्राण	महाप्राण
असीम	ससीम
अपकार	उपकार
अनाहूत	आहूत
अनुयायी	विरोधी
अंगीकार	अस्वीकार
अंतरंग	बहिरंग
अंतर्द्वन्द्व	बहिर्द्वन्द्व
अंधकार	प्रकाश \ आलोक
अकर्मक	सकर्मक
अकर्मण्य	कर्मण्य \ कर्मठ
अकाम	निष्काम , सकाम
अकेला	साथ
अगम	गम , सुगम
अग्रि	पश्च , पश्चात्
अघ (पाप)	अनघ (पवित्र)
अचर	चर
अचेत \ अचेतन	सचेत , चेतन
अज्ञ	विज्ञ \ प्रज्ञ \ सर्वज्ञ
अतल	वितल
अतिकाय (बड़ा शरीर)	कृशकाय \ लघुकाय
अतिथि	आतिथेय (मेजबान)
अतिवृष्टि	अनावृष्टि (अनावर्षण)
अधम	श्रेष्ठ , उत्तम
अधिकार	अनधिकार
अधिकृत	अनधिकृत
अधीर	धीर
अनंत	अंत
अनाहूत (बिना बुलाया)	आहूत
अनिवार्य	ऐच्छिक \ वैकल्पिक
अनुग्रह	दंड \ कोप
अनुरक्त	विरक्त
अनुराग	द्वेष , विराग
अनैक्य	ऐक्य (एकता)
अपकार	उपकार
अपचय (हानि)	उपचय (वृद्धि)
अपमान	सम्मान
अपयश	सुयश (यश)
अपराध	निरपराध
अपेक्षा	निरपराध
अपेक्षा	उपेक्षा
अभिज्ञ	अनभिज्ञ \ अज्ञ
अभिमुख	= पराङ्मुख (अन्य की तरफ मुख रखने वाला)
अभियुक्त	अभियोगी
अभिशाप	वरदान
अमर	मर्त्य
अमृत	विष
अरुचि	सुरुचि
अर्जन	वर्जन (त्याग)
अर्पण	ग्रहण
अर्वाचीन (नया)	प्राचीन (पुराना)
अल्प	अति, महा, बहु, प्रचुर, अधिक
अल्पायु	दीर्घायु \ चिरायु
अवकाश	अनवकाश , व्यस्तता
अवनत (नीचा)	उन्नत (ऊँचा)
अवनति (पतन)	उन्नति
अवनि	अंबर

अवर(छोटा) प्रवर (बड़ा)
अवलम्ब निरवलम्ब
अवश्य संभवतः
अवसाद (दुः ख) प्रफुल्लता
अस्तेय (चोरी न करना) = स्तेय (चोरी)

"आ"

आग्रह दुराग्रह
आड़म्बर सादगी
आच्छादित अनाच्छादित
आचार अनाचार
आलोक अन्धकार
आक्रमण प्रतिरक्षा
आकाश पाताल
आगमन प्रस्थान,निर्गमन
आतुर निरातुर
आरम्भ समापन
आवृत अनावृत
आरूढ़ अनारूढ़
आमिष निरामिष
आशीर्वाद अभिशाप
आयात निर्यात
आभ्यातर बाह्य
आवर्तक अनावर्तक
आकर्षण = विकर्षण , अनाकर्षण, अपकर्षण
आकांक्षा अनाकांक्षा
आकाश पाताल
आकुंचन (सिकुड़ना) प्रसारण
आक्रमण प्रतिरक्षा
आगत अनागत
आगमन निर्गमन
आग्रह दुराग्रह
आज्ञापालक अवज्ञा
आज़ादी गुलामी
आडंबर सादगी
आतुर अनातुर
आत्मनिर्भर अनुजीवी , परजीवी
आदर निरादर
आदि अंत
आदृत (सम्माननीय) = अनादृत , निरादृत , तिरस्कृत
आधार निराधार
आनंद विषाद , शोक
आमिष (सामिष) निरामिष (शाकाहारी)
आयात निर्यात
आरूढ़ (सवार) अनारूढ़
आरोह अवरोह
आर्द्र (गिला) शुष्क , अनार्द्र
आर्ष (वैदिक) अनार्ष
आवर्तन प्रत्यावर्तन
आवास प्रवास
आविर्भाव (पैदा होना) = तिरोभूत \ तिरोहित
आवृत (ढका हुआ) अनावृत
आशा निराशा
आशिष् अभिशाप , शाप
आश्रित निराश्रित
आसक्त अनासक्त
आह्लाद (प्रसन्नता) विषाद (दुःख)
आह्वान विसर्जन

"इ"

इच्छा अनिच्छा
इहलोक परलोक
इति (समाप्ति) अथ (प्रारम्भ)
अनिष्ट इष्ट

"ई"

ईमानदार बेईमान
ईश्वर अनीश्वर
ईर्ष्या प्रेम
ईहा अनीहा (अनिच्छा)

"उ"

उग्र सौम्य
उत्तम अधम
उदार कृपण, (कंजूस/अनुदार)
उपजाऊ अनुपजाऊ
उपचार अपचार
उपयुक्त अनुपयुक्त
उत्थान पतन
उन्मीलन निमीलन
उन्नत अवनत
उपकार अपकार
उत्कर्ष अपकर्ष
उन्नति अवनति

संश्लेषण	विश्लेषण
संस्कार	विकार
संस्कृति	विकृति
सत्कार	तिरस्कार
सदाचार	कदाचार
सदाचारी	दुराचारी
सहानुभूति	घृणा
सहृदय	हृदयहीन
साकार	निराकार
साधर्म्य (समान धर्म का)	= वैधर्म्य (अलग धर्म का)
सायास	अनायास
साहचर्य (साथ)	पृथक्करण (अलगाव)
सुरति	निरति
सूक्ष्म	स्थूल
सृष्टि	प्रलय
स्थिर	अस्थिर , चंचल
स्पृश्य	अस्पृश्य
स्पृह (इच्छा)	निस्पृह (इच्छा रहित)
स्मरण	विस्मरण
स्वकीया	परकीया
स्वजन	परिजन
स्वतंत्र	परतंत्र

"ह"

हरा	सूखा
हार	जीत
हित	अहित
हेय	ग्राह्य
हंसना	रोना
ह्रस्व	दीर्घ
ह्रास	वृद्धि
क्षणिक	शाश्वत
क्षर	अक्षर
क्षय	अक्षय
क्षुद्र	विराट

"ज्ञ"

ज्ञान	अज्ञान
ज्ञानी	अज्ञानी
ज्ञेय	अज्ञेय
अंगीकरण	अनंगीकरण
अंतिम	अनंतिम/आरंभिक
अच्युत	च्युत
अटल	डाँवाडोल/ ढुलमुल
अतिवृष्टि	अनावृष्टि
अद्यतन	पुरातन
अनिवार्य	निवार्य
अपराध	निरपराध
अमित	परिमित
अर्हता	अनहर्ता
अवनत	उन्नत
अवसर	अनवसर
अश्लील	श्लील
अहंकार	अनहंकार
आकीर्ण	विकीर्ण
आपत्ति	सम्पत्ति
आद्य	अंत्यय
ईप्सित	अनीप्सित
उच्छ्वास	निःश्वास
उत्तेजन	प्रशमन
उदासीन	आसक्त
उपरि	अधः
उपरिलिखित	निम्नलिखित
ऋत	अनृत
एकाग्रचित्त	अन्यमनस्क/दुचित्ता
ऐक्य	अनैक्य
कर्ता	अकर्ता
काज	अकाज
कुरुप	सुरुप
क्षणिक	शाश्वत
गुप्त	प्रकट
चिरस्थायी	अल्पस्थायी
जातीय	विजातीय
जितेंद्रिय	अजितेंद्रिय
दलित	अदलित
अंगीकार	अनंगीकार
अज्ञ	विज्ञ/प्रज्ञ

अतुल	तुल्य	ईहा	अनीहा
अत्यधिक	अत्यल्प	निःशंक	सशंक
अनंत	सांत/ससीम	यति	गृहस्थ
अन्वय	अनन्वय	स्थायी	स्थानापन्न
अभिज्ञ	अनभिज्ञ	अगम	छिछला
अर्वाचीन	प्राचीन	अनृत	सत्य
अवकाश	अनवकाश	अश्लील	श्लील
अवशेष	निःशेष	उपमा	व्यतिरेक
अन्वय	अनन्वय	प्रतिपन्न	अप्रतिपन्न
दिनांकित	अदिनांकित	वाह्य	आभ्यंतर
नम्य	अनम्य	भेद्य	दुर्भेद्य / अभेद्य
नामवर	बदनाम	मनुज	दनुज
नामवर	बदनाम	मानवता	नृशंसता
निरुद्ध	अनिरुद्ध	यथार्थ	आदर्श
निरुजता	रुग्णता	यशस्वी	अयशस्वी
पटु	अपटु	रचना	ध्वंश
परिश्रम	विश्राम	वसंत	ग्रीष्म / पतझण
प्रवर	अवर	शोषक	पोषक / शोषित
बेमेल	संगत	श्रीगणेश	इतिश्री
भ्रांत	विभ्रांति	सक्रिय	निष्क्रिय
मृषण	रुक्ष	सत्संग	कुसंग
मुनासिब	नमुनासिब	समाप्त	असमाप्त
यथेष्ट	कम	समास	व्यास
यौवन	वार्धक्य	सशस्त्र	निरस्त्र
रुक्ष	मृदु	सुदूर	संन्निकट
शानदार	शर्मनाक	सुषुप्ति	जागरण
श्यामा	गौरी	स्वल्पायु	चिरायु
संशयी	निस्संशयी	एकांगी	सर्वांगीण
सचेष्ट	निःचेष्ट	छाया	आतप / धूप
सदाशय	दुराशय	ज्योतिर्मय	तमोमय
समाप्त	असमाप्त / व्यास	तनय	तनया
सशंक	निशंक	याचित	अयाचित
सहयोगी	प्रतियोगी	रव	नीरव
संकलन	व्यकलन	ऋजु	वक्र
झंकृत	निस्तब्ध	ताप	शीत

English

Chapter – 1

Time And Tense

Time (समय) और Tense (काल) दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है।
Time का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि Tense का प्रयोग विशेष अर्थ में Verb के form का निरूपण करने के लिए किया जाता है। चलिए नीचे दिए गए उदाहरणों पर हम लोग विचार करते हैं -
1. Veena goes to the market every Sunday.
2. The plane takes off at 5 p.m. tomorrow.
3. He had no money yesterday.

उदाहरण (1) में Simple Present Tense का प्रयोग किया गया है। लेकिन इससे Past, Present, और Future तीनों का बोध होता है, वीणा Past time में प्रत्येक रविवार को जाती है और आशा है कि Future time में भी प्रत्येक रविवार को जाएगी।

उदाहरण (2) में स्पष्ट होता है कि प्लेन (plane) कल 5 बजे शाम को प्रस्थान करेगा। इस वाक्य में भी Simple Present Tense का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे future time का बोध होता है।
उदाहरण (3) में Simple Past Tense का प्रयोग किया गया है, तथा इससे past time का बोध होता है।
ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि Verb के Present Tense में रहने पर भी इस पर Present, Past और Future Time का बोध होता है।
अत; Verb के Tense तथा इसके प्रयोग को सावधानी से समझने की जरूरत है सर्वप्रथम एक प्रश्न उठता है कि Tense क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है :-
Tense : कार्य के समय के मुताबिक Verb के रूप में जो परिवर्तन होता है, उसे Tense कहते हैं।

Kinds of Tense

1. Present Tense (वर्तमान काल)
2. Past Tense (भूतकाल)
3. Future Tense (भविष्य काल)

1. Present Tense : किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने जैसे- हो रहा है, हो चुका है, या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है, का बोध हो तो उसे Present Tense कहते हैं।

दूसरे शब्दों में - An action which is done at the present time. जैसे -
1.I read a book
मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ।
2.I am reading a book
मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ ।
3.I have read a book
मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ।
4.I have been reading a book for an hour
मैं दो घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ।

2.Past Tense : किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था, या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो, तो उसे Past Tense कहते हैं।
दूसरे शब्दों में- An action which is done at the Past time. जैसे -
1.I wrote a letter.
मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा।
2.I was writing a letter.
मैं पत्र लिख रहा था।
3..I had written a letter.
मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था
4.I had been writing a letter for two days.
मैं दो दिनों से पत्र लिख रहा था

3. Future Tense : किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने जैसे-हो रहा होगा, होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो, उसे Future Tense कहते हैं। जैसे -
1. I shall write a letter.
मैं पत्र लिखूंगा।
2.I shall be writing later.
मैं पत्र लिख रहा हूंगा।
3.I shall have written a letter.
मैं पत्र लिख चुका हूंगा।
4. I shall have been writing a letter.
मैं पत्र लिखता आ रहा होऊंगा।
उपयुक्त उदाहारण से यह स्पष्ट होता है कि Present, Past तथा Future Tense के भी चार -चार उपभेद होते हैं।

1. Present Tense

Present Tense के चार उपभेद होते हैं।
1. Present Indefinite Tense /Simple Present Tense (सामान्य वर्तमान काल)
2. Present Continuous / Progressive Tense (अपूर्ण वर्तमान काल / तात्कालिक वर्तमान काल)

3. Present Perfect Tense(पूर्ण वर्तमान काल)
4. Present perfect continuous tense (पूर्णापूर्ण वर्तमान काल / पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल)

I. Simple Present Tense

Structure :

Positive tense :-

Subject +main verb +s/es+Object

Ex-Ram reads books.

Note:- अगर subject singular है (जैसे- he, she, it या किसी व्यक्ति का नाम) तो verb की first form में s या es प्रयोग करेंगें I

Negative:-

Subject+do/does+not+main verb+Object

Ex- Ram does not read books.

Interrogative:-

Ist type:-

Do/does+subj+not+main verb+Object+?

2nd type :-WH words + Ist type

Ex- Does ram read books?

note:-यदि subject एकवचन(He ,She ,It ,name) होगा तो main verb में s या es लगायेंगे और अगर subject बहुवचन(you ,we,they) होगा तो main verb में s या es नहीं लगायेंगे I

जैसे :-

ram **reads** books.

they **read** books.

Rule (1): Simple Present Tense का प्रयोग habitual, or regular or repeated action (नियमित या स्वाभाविक कार्य) को express (अभिव्यक्त) करने के लिए किया जाता है। जैसे -

Mukesh goes to bed at 10 P.M.
He always comes here on Sunday.
She reads a newspaper every morning.
He takes tea without sugar.
We work eight hours a day.
I live at Mahendru.
Shweta and Anshu are girls.
I get up at 6 a.m. every morning.

Note : सामान्यत: Time expressing Adverbs (समय सूचक क्रिया विशेषण) जैसे -

always, often, sometimes, generally, usually, occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, habitually, daily, everyday, every night, every morning, every evening, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twise a day, twice a week, twice a month आदि का प्रयोग habitual, or regular or repeated action को express करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपरोक्त Adverbs का प्रयोग होने पर Simple Present Tense का प्रयोग होता है जैसे-

He always comes here at night.
He generally comes here at night.
He usually comes here at night.
He sometimes comes here at night.
He often comes here at night.
He rarely comes here at night.
He seldom comes here at night.
He never comes here at night.

Rule (2) : इस Tense का प्रयोग Universal truth (सार्वभौमिक सत्य) principal (सिद्धांत) permanent activities (स्थायी कार्य) को express(अभिव्यक्त) करने के लिए किया जाता है जैसे -

The sun rises in the east.
Two and two makes four.
Man is mortal.
Water boils at 100°C.
The Ganges springs from the Himalayas.

Rule (3) : इस Tense का प्रयोग possession (अधिकार) को express (अभिव्यक्त) करने के लिए किया जाता है जैसे -

This pen belongs to me.
I have a car.
He owns a big building.

Rule (4) : इस Tense का प्रयोग mental activity (मानसिक क्रिया कलाप), emotions तथा feelings को express (अभिव्यक्त) करने के लिए किया जाता है। जैसे :-

यदि तुम तेज दौड़ोगे ,	तो तुम रेस में जीत जाओगे।
If you run fast ,	You will win the race.
subordinate Clause ,	Principal clause
Simple Present Tense ,	Simple future tense
Sub+V1+obj ,	sub+shall/will+V2+obj

Note : notice, recognise, see, hear, smell, appear, want, wish, desire, feel, like, love,hate, hope, refuse, prefer, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, means, mind etc. का प्रयोग mental activity express (अभिव्यक्त) करने के लिए किया जाता है। अत : इन सारे Verbs का प्रयोग Simple Present Tense में होता है I

I have seen him last year. (×)
I saw him last year. (✓)
He has arrived last week. (×)
He arrived last week. (✓)
She has come the other day. (×)
She came the other day. (✓)

Rule (6) : Present Perfect Tense के साथ नीचे दिए गए Adverbs or Adverbial pharases का प्रयोग होता है। जैसे -

Adverbs	Meanings
1. ever	कभी
2. never	कभी नहीं
3. always	हमेशा / सदा
4. occasionally	कभी-कभी
5. often	प्रायः / अक्सर
6. several time	अनेक बार
7. already	पहले से ही
8. yet	अब तक /अभी तक (बोलने के समय तक)
9. just	तुरन्त
10. lately	हाल में
11. recently	हाल में
12. so far	अब तक / जहाँ तक
13. up to now	अभी तक
14. Up to the present	वर्तमान समय तक
15. since	से
16. for	से
17. during the last few weeks	अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान
18. during the last few years	अंतिम कुछ वर्षो/सालों के दौरान

He has come recently. (✓)
She has not gone yet. (✓)
He has worked here for five hours. (✓)
The train has already left. (✓)
Mukesh has not completed his work up to now. (✓)
He came recently. (×)
She did not go yet. (×)
He worked here for five hours. (×)
The train already left. (×)
Mukesh completed his work up to now.(×)
उपर्युक्त Adverbs में से कुछ का प्रयोग Simple Past Tense में भी होता है।

4. Present Perfect Continuous Tense

Structure:-

positive:-sub+has/have+been+Ving+obj+since/for +......

Ex-He has been playing for two hours.

Negative:-

sub+has/have+not+been+Ving+obj+since/for+.....

Ex- He has not been playing for two hours.

Interrogative:- 1st type :-

Has/have+sub+been+Ving+obj+since/for+.....?

2nd type :-WH words + 1st type

Ex- Has he been playing for two hours?

Use of present perfect continuous tense:-

1.जब कोई कार्य past से लगातार चला आ रहा हो और present में भी चल रहा हो तो present perfect continuous tense का प्रयोग करते है।

जैसे:-

He has been studying for two hours.
वह दो घण्टे से पढाई कर रहा है ।

Note : Since / for का प्रयोग Present perfect tense, Present Perfect Continuous Tense, Past Perfect Tense, तथा Past Perfect Continuous Tense में होता है।

अतः हम लोग since / for के प्रयोग पर विचार करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए for / since महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

Use of 'for' and 'since':-

(A) **Uses of 'for'** : for is used before indefinite / uncertain period of time

'for' is used before -

Rule (1) : Numeral Adjective + minutes
जैसे -for thirty minutes
for many minutes
for twenty minutes
for several minutes

Rule (2) : Numeral Adjective + hours
जैसे - for two hours
for many hours
for three hours
for several hours

Rule (3) : Numeral Adjective + days
जैसे - for five days
for many days
for two days
for several days

Rule (4) : Numeral Adjective + weeks
जैसे - for two weeks
for many weeks
for three weeks
for several weeks

Rule (5) : Numeral Adjective + months
जैसे - for two months
for many months
for six months
for several months

Rule (6) : Numeral Adjective + years
जैसे- for three years
for many years
for five years
for several years

Rule (7) : Numeral Adjective + decades जैसे -for three decades for many decades
for four decades
for several decades

Rule (8) : Numeral Adjective + Centuries
जैसे-for two centuries
for many centuries
for five centuries
for several countries

Rule (9) : A+minute जैसे - for a minute
Rule (10) : An + hours जैसे - for an hour
Rule (11) : A+ day जैसे - for a day
Rule (12) : A+ week जैसे - for a week
Rule (13) : A+ month जैसे - for a month
Rule (14) : A+ year जैसे - for a year
Rule (15) : A+ decade जैसे - for a decade
Rule (16) : A+ Century जैसे - for a century
Rule (17) : a long period / a long time / ever / a while / a moment.
जैसे - for a long period
for a while
for a long time
for a moment
for ever

Rule (18) : The last / Past + Numeral Adjective + minute (s) / hour / (s) / day (s) /week (s) / month (s) / year (s) / decade (s) / century / centuries.
जैसे - for the last five hours
for the past four days
for the last six years.
for the past six years

Rule (19) : seasons
जैसे - for two seasons

Rule (20) : minutes / hours / days / weeks / months / years / decades / centuries.
जैसे - for hours
for years
for months
for weeks

Note : (i) Period of time + ago का प्रयोग होने पर, period of time के पहले since का प्रयोग होता है, for का नहीं। **जैसे -**

His brother has been ill for five days. (✓)
His brother has been ill since five days. (×)
His brother has been ill for five days ago. (×)
His brother has been ill since five days ago. (✓)

Five days ago, period of time नहीं है। बल्कि यह a moment of time है। इसलिए इसके पहले since का प्रयोग होता है।

(ii) For का प्रयोग 'all + period of time' के पहले नहीं होता है। जैसे -
for all day (×)
for all months (×)
it has been raining all day. (✓)
it has been raining for all day. (×)

(iii) For का सामान्य अर्थ 'तक / के लिए' होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग Simple Present / Past / Future Tense में होता है **जैसे -**

Binay waited for me for three hours.
(Simple Past Tense)
She goes there for two hours every day.
(Simple Present Tense)
My younger brother will be in Mumbai for the next five days.(Simple Futures Tense)

(B) Uses of 'Since' :- 'Since' is used before 'definite period of time / point of time'
'Since' is used before :

Rule (1) : name of the day. जैसे -
since Monday since Tuesday
Rule (2) : name of the months. जैसे -

Chapter – 3

Direct & Indirect Narration

Direct Speech:-

जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहै हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दें तो वह Direct Speech कहलाता है।

जैसे: Ram says , "I work hard."

Indirect Speech:-

जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करें तो वह Indirect Speech

जैसे: Ram says that he works hard.

ASSERTIVE SENTENCES (कथनात्मक वाक्य):-

He says, "I work hard." (Direct Speech)

He says that he works hard. (Indirect speech)

Assertive sentences को direct से Indirect Speech में परिवर्तन करने के नियम:-

Comma एवं inverted commas को हटाएँ और Conjunction 'that' का प्रयोग करें।

Pronoun नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें।

1. First Person को Reporting Verb के Subject के अनुसार बदलते हैं।

2. Second Person को Reporting Verb के Object के अनुसार बदलते हैं।

3. Third Person के Reporting Verb में कोई भी बदलाव नहीं किय जाता है।

person	nominative	objective	possessive
I	I we	me us	my,mine our,ours
2	you	you	yours
3	he she it they	him her it them	his her,hers its their,theirs

CHANGE THE TENSE:-

यदि Direct speech को Indirect speech में बदलते समय Reporting verb में Present tense या Future tense हो तो Reported speech के Tense में कोई भी बदलाव नहीं होता है, केवल जरुरत के हिसाब से Pronoun को Change किया जाता है। लेकिन यदि Reporting verb, Past tense में हो तो Reported speech के Tense को निम्नलिखित प्रकार से Change किया जाता है

1. V_I - V_{II}
2. do not / does not - did not
3. is / am / are - was / were
4. has / have - Had
5. has been / have been - Had been
6. V_{II} - Had + V_3
7. did not + V_I - Had not + V_3
8. was / were - Had been
9. Had - No change
10. Had been - No change
11. will / shall - Would
12. Can - Could
13. may - might
14. this - that

Direct speech को Indirect speech में बदलते समय Reporting verb यदि Past tense में हो तो Reported speech में उपयोग होने वाला निकटता सूचक शब्द और दूरी सूचक शब्द और समय को दर्शाने वाले शब्द निम्नलिखित प्रकार से Change किया जाता है।

DIRECT	INDIRECT
This	That
These	Those
Here	There
Hence	Thence
Now	Then
Thus	So
Today	That Day
Yesterday	The previous day / The day before
The day before yesterday	Two days before
Tomorrow	The next day / The following day
Tonight	That night
This day	That day
The day after tomorrow	In two days, Time
Last week	The previous week / The week before
Last month	The previous month / The month before
Last year	The previous yaer / The year before
Last night	The previous night / The night before
Last day	The previous day / The day before

Indirect speech मे यदि I and we से कोई एक (sub) बने हो तो will/shall हमेशा should मे बदलेंगे

Ex :- You said to me, " you will go".

Ind. - You told me that I should go

यदि reporting verb में I अथवा me मे से किसी शब्द का प्रयोग हो तो reporting speech मे we, us, our - (No Change) नहीं बदलेंगे

Ex- You said to me, " we call our friends".

Ind. - You told me that we called our friends

Ex- You said to me,"we shall help my and your friends at our school".

Ind. - You told me that we should help you and my friends at our school.

*Interrogative with helping verb

Ex he said to her, "Have you called me"?

(I) said to - Asked

" "

Inverted - If

Comma

Ind. - He asked her if she had called him.

Explanation:- If के कारण वाक्य Interrogative बन जाता हैं अतः मां को हल करते समय H.V को पीछे ले जाएंगे और sub को आगे ले आयेगे बाकी परिवर्तन पिछले नियमों के अनुसार होंगे।

वाक्य को हल करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे उसके स्थान पर full stop का प्रयोग करेंगे।

Ex. She said to Ram," shall I help you"?

Ind.- She asked Ram if she would help you.

Note- यदि प्रश्नवाचक वाक्य में did का प्रयोग हो तो वाक्य हल करते समय इसे वाक्य से हटा देंगे लेकिन वाक्य past. Indef. tense में ही रखना होगा इसलिए Verb को II form मान लेंगे और Had+V_3 में बदलेंगे

Ex. He said to her did I call you

He asked her if he had called you

Note :- अगर वाक्य में do / does आया हैं तो Ind. बनाते समय उसे वाक्य से हटा दिया जाएगा यह केवल Present Indef. tense बतलाने के लिए आता हैं।

Ex :- you said to me, "do you help me".

Ind. - You asked me if I help to you"

Interrogative with wh. word

Ex :- Ram said to Sita, "where are you going".

Sad to - Asked

(" ") - इसे उठाकर कुछ नहीं लिखेंगे तथा wh शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे

Ind. - Ram asked Sita where she was going.

* बाकी परिवर्तन पिछले नियमों के अनुसार ही करेंगे

Hov.पीछे और Sub आगे

Ex :- you said to me, "what will you call me".

You asked me what I should call you".

Imperative Sentence

(i) इन sent. के माध्यम से (order, advice, suggestion, request) के भाव को व्यक्त किया जाता हैं।

(ii) यह वाक्य हमेशा verb की I form से शुरू होगे या do not से शुरू होंगे।

(iii) Said to के स्थान पर वाक्य का भाग देखते हुए (order, request, suggested, advice) मे से किसी का प्रयोग करेंगे।

(iv) " " - इस से हटाकर कुछ नहीं लिखेंगे

Inverted Comma

(v) यदि वाक्य की I form से शुरु हुआ Indirect बनाते समय उससे पहले हमेशा To preposition का प्रयोग करेंगे।

(vi) इन वाक्यों मे tense परिवर्तन नहीं होगा अतः वाक्य मे बिना tense परिवर्तन ज्यों का त्यों लिख देगे।

(vii) लेकिन persons वाले परिवर्तन अवश्य होगे।

(viii) यदि reporting speech का भाव समझ में ना आये तो said to के स्थान पर asked का प्रयोग करेंगे।

Ex :- Ram said to Sita, " Bring my and your food in our room".

Ind. - Ram asked Sita to bring his and her food in their room .

(ix) यदि वाक्य do not से शुरू हो तो इन्हें दो प्रकार से बनाया जाता हैं।

Type (i)

[" " Inverted comma] इसे हटाकर कुछ नहीं लिखेंगे I

(ii) वाक्य मे सिर्फ do को हटाएगे not को यथावत रहने देंगे लेकिन not के बाद ठीक To preposition का प्रयोग करेंगे।

इन वाक्यों मे tense परिवर्तन नहीं होगा लेकिन persons वाली लिस्ट परिवर्तन अवश्य होगे।

The doctor said to the patient " do not drink wine".

The doctor advised to the patient not to drink wine.

Type - 2

(i) Said to - for bade

" "

[Inverted Commas] - इसे हटा कर कुछ नहीं लिखेंगे

(ii) वाक्य से do not हटा देंगे और उसके स्थान पर to preposition का प्रयोग करेंगे

(iii) tense परिवर्तन नहीं होगा persons परिवर्तन होंगे
The doctor said to the patient ," Do not drink wine".
Ind. - The doctor forbade the patient to drink wine.
- you said to me ,"do not create a problem for you at my house"

Ind. - you forbade me to create a problem for me at your house.

Sentence with (let):-
(i) said to - suggested
(ii) Inverted comma . (" ") - इसे हटा कर कुछ नहीं लिखेंगे
इन्हें दो प्रकार से बनाया जाता है-
(i) let + pronoun (us, me, him, her) को हटा देंगे
(ii) let + pronoun को हटाने के बाद उसके स्थान पर To preposition का use करेंगे ।
(iii) tense change नहीं होंगे persons अवश्य change होगे।
He said to her, " Let us buy a house for you and me".
Ind. - he suggested her to buy a house for her and him.

Type -2 :- said to - suggested
Inverted Comma (" ") - को हटाकर that प्रयोग करेंगे ।
(i) वाक्य में सिर्फ let को हटायेंगे और Let के बाद दिए गए Pronoun को Subjective Case मे बदलेंगे persons वाली लिस्ट के लिए परिवर्तन अवश्य होंगे ।
(ii) Sub निर्धारण के ठीक बाद हमेशा Should का प्रयोग करेंगे।
(iii) tense - change नही होगा
Ex:- You said to her, "let us buy a house for you and me".
You suggested her that they should buy a house for her and him.
Ex - He Said to me, " let me help you in their work".
He suggested me that he should help me in this work.

Optative Sentence

Blessing, good, Curse के भाव को व्यक्त करते है।
Said to - According reporting speech (Bless, wished, curse)

" " Conjection - that

पहचान - may से स्टार्ट होंगे may के बाद sub दिया होगा may को might में बदलते हुए पीछे व sub को आगे लिखते हैं।
Ex: - The beggar said to me, " may God ruin you and your life.
The beggar cursed me that God might ruin me and my life.

Exclamatory sentence:-

surprise(आश्चर्य) , sorrow(दुःख), joy(अति उत्साह), Applause(प्रशंसा)

Said to - According to reporting speech
Exclaimed with Joy
" " with Sorrow
" " with surprise
" ". with Applause

" " Conjunction - that

Reporting speech में निम्न में से किसी एक शब्द का प्रयोग होगा और Indirect बनाते समय इन्हें हटा दिया जाएगा।
Oh, hurrah, Tense change होंगें persons भी change होंगें.
Ex :- the lady said, " Alas ! my dog had died "
The lady exclaimed with sorrow that her dog had been died.
Ex :- the boy said, " Hurrah! we won this watch"
The boy exclaimed with Applause that they won match.
Note - Sentence with surprise - Adj. या Noun दिए हो तो

निर्जीव के लिए - It is
सजीव के लिए - He is
लड़की के लिए - She is

What - Very
Conjunction - that

Tense will be changed according reporting verb.
Ex. He said, "what a nice building !"
He exclaimed with surprise that it was a nice building.
Ex :- Ram said, "what an intelligent girl"

Chapter – 10

Glossary Of Offical, Technical Terms

(with their hindi versions)

(A)

Abandonment = परित्याग
Abatement = उपशमन/कमी
Abbreviation = संक्षेप/संक्षेपण
Abeyance = आस्थगन
Ability = योग्यता
Abnormal = अपसामान्य
Abolition = उन्मूलन/समाप्ति
Above cited = उपर्युक्त
Above par = औसत से ऊँचा
Abridge = संक्षेप करना
Absence = अनुपस्थिति
Absentee Statement = अनुपस्थिति विवरण
Abstract = सार
Abuse = दुरुपयोग
Academic = शैक्षणिक
Academic Council = विद्या परिषद्
Academic Council = शैक्षणिक परिषद्
Academy = अकादमी
Accede = मान लेना/ सम्मिलित होना
Acceptability = स्वीकार्यता
Acceptance = स्वीकृति
Accessory = उपसाधन/अतिरिक्त
Accident = दुर्घटना/संयोग
Accord = समझौता, देना/अनुकूल होना नई
Accordingly = तदनुसार
Account = लेखा/खाता/ हिसाब
Account Head = लेखा शीर्ष मई
Accountibility = उत्तरदायित्व/ जवाब देही
Accrue = प्रोद्भूत होना
Accuracy = यथार्थता/शुद्धता
Accusation = अभियोग
Accuse = अभियोग लगाना
Acknowledge = अभिस्वीकार करना/मानना
Acknowledgement = पावती/प्राप्ति सूचना/अभिस्वीकृति/रसीदी
Acquire = अवाप्त करना/अर्जन करना
Acquisition of land = भूमि अवाप्ति
Act in force = प्रवृत्त अधिनियम
Acting = कार्यवाहक/कार्यकारी
Action = कार्यवाही
Activities = कार्यकलाप
Additional = अतिरिक्त
Addressee = पानेवाला/प्रेष्य
Ad hoc = तदर्थ
Adjourn = स्थगित करना / काम रोकना
Adjourned-Sinedic = अनिश्चित काल के लिए स्थगित
Adjournment motion = स्थगन प्रस्ताव
Adjustment = समायोजन
Administer = प्रशासन करना / देना / दिलाना
Administer oath = शपथ दिलाना
Administration = प्रशासन
Administration of Approval = प्रशासनिक अनुमोदन
Administration of Control = प्रशासनिक नियंत्रण
Administration of Convenience = प्रशासनिक सुविधा
AdministrationofReforms = प्रशासनिक सुधार
Administration of Set up = प्रशासनिक व्यवस्था
Administration of System = प्रशासनिक पद्धति
Admissible = माहय, स्वीकार
Admit = स्वीकार करना/अंदर आने देना प्रविष्ट करना
Agrarian = कृषि भूमि संबंधी
Amount = राशि/मात्रा/परिमाण
Amount Claimed = अध्यार्थित राशि
Amount deposited = जमा राशि
Amount outstanding = बकाया राशि
Amount withdrawn = निकाली गई
Ancillary = आनुषंगिक
Annexure = संलग्न/परिशिष्ट/ अनुबंध
Announce = घोषणा करना/आख्यापन करना
Annual = वार्षिक प्रस्ताव
Annual Audit Report = वार्षिक अंकेक्षा प्रतिवेदन
Annual Financial Statement = वार्षिक वित्तीय विवरण
Annual review = वार्षिक समीक्षा
Annul = रद्द करना

Anomaly = असंगति
Antecedents = पूर्ववृत्त
Anti-dated cheque = पूर्वदिनांकित चैक
Anticipated = प्रत्याशित
Anticipated Expenditure = प्रत्याशित व्यय
Anticipated Revenue = प्रत्याशित राजस्व
Appeal = अपील/ अपील करना
Appeal Division = अपील प्रभाग
Appcar = उपस्थित होना
Appellate = अपीलार्थी
Appendage = संलग्नक
Appendix = परिशिष्ट उक्ति
As follows = निम्नलिखित
As may be = जैसा उचित प्रतीत हो
considered expedient
Assent = अनुमति
Applicability = प्रयोज्यता/लागू होना
Assessed = निर्धारित
Applicant = आवेदक
Assessor = असेसर,निर्धारिक
Apply = आवेदनपत्र देना/लागू होना
Assels = परिसंपत्ति/आस्तियाँ
Applied = प्रयुक्त/व्यावहारिक
Assign = सौंपना/नियत करना/समनुदेशित करना
Appointee = नियुक्ति व्यक्ति
Appointing Authority = नियुक्ति प्राधिकारी
Association = संघ प्राधिकारी
Assume = ग्रहण करना/ कल्पना करना
Appointment = नियुक्ति
Assumption of charge = भार ग्रहण
Appraise = मूल्यांकन
As the case may be = यथास्थिति
Appreciation = सराहना
As usual = नित्यवत
Apprentice = शिक्षु
At par = सममूल्य पर
Appropriation = विनियोजन
Attachee = सहचारी
Approve = अनुमोदन करना
Attestation = अनुपालन/साक्ष्यांकन
Approved Contractor = अनुमोदित
At the discretion of = के विवेकानुसार
As the disposal of = के अधीन

Arbitration = पंच फैसला
Audio-visual = श्रव्य-दृश्य
Arrears = बकाया
Audited account = परीक्षित लेखा
Article = संविधान अनुच्छेद/वस्तु/नियम
Authentic = प्रामाणिक
Authorize = प्राधिकार देना
As aforesaid = यथा पूर्वोक्त/जैसा कि पहले कहा गया है
Autonomous = स्वायत्त
Avoid = वर्जन करना
As a general rule = सामान्यतया
As a matter of course = स्वभावतः
Award = पंचाय/पंचनिर्णय
As a matter of fact = वस्तुत/यथार्थतः
As a whole = समस्त रूप में/पूर्णतया
As certain = सुनिश्चित करना/मालूम करना
As early as possible = यथाशीघ्र
Avoidable = परिहार्य

(B)

Backward classes = पिछड़ वर्ग
Bad conduct = दुराचरण
Balance = अतिशेष बाकी/ तुला/संतुलन
Balance Sheet = तुलन-पत्र
Ban = प्रतिबंध
Bar = रुकावट
Bare outline = रूपरेखा मात्र
Base year = आधार वर्ष
Basic Pay = मूल वेतन
Before cited = पूर्व कथित
Before the expiry of = की समाप्ति के पूर्व
Bench (Law) = न्याय पीठ
Beneficiary = लाभानुभोगी
Benefit of doubt = संदेह-लाभ
Benevolent fund = दातव्य निधि
Best course = सर्वोत्तम मार्ग
Bibliography = संदर्भ-ग्रंथ-सूची
Bid = बोली लगाना
Biennial = द्विवर्षी
Bilateral = द्विविपक्षीय
Bill = बिल/विधेयक
Black list = काली सूची

Chapter – 12

One Word Substitution

S. No.	Statement	OWS with Hindi meaning
1.	Words inscribed on the tomb	Epitaph / समाधि- लेख
2.	A Fear of closed / dark places	Claustrophobia / संवृत- स्थान - भीति
3.	Something no longer in use	Obsolete / अप्रचलित
4.	A remedy for all diseases	Panacea / रामबाण
5.	One who is indifferent to pleasure or pain	Stoic / वैरागी
6.	One who is difficult to please	Fastidious / तुनुक मिजाज
7.	One who is concerned with the welfare of other	Altruist / परोपकारी
8.	The thing that can be easily broken	Brittle / नाजुक
9.	An animal that lives in a group	Gregarious / झुंड में रहने वाला
10.	That which cannot be easily read	Illegible / पठनीय
11.	Incapable of being corrected	Incorrigible / असुधार्य
12.	That which cannot be avoided	Inevitable / अतिनिष्ठावान
13.	A method which never fails	Infallible / अचूक
14.	One who hates women	Misogynist / महिलाद्वेषी
15.	A state where no law and order exits	Anarchy / अराजकता
16.	A study of ancient things	Archaeology / पुरातत्व विज्ञान
17.	A lover of books	Bibliophile / पुस्तक प्रेमी
18.	One who eats human flesh	Cannibal / नरभक्षी
19.	People living at the same time	Contemporaries / समकालीन
20.	To free completely from blame	Exonerate / निर्दोष ठहराना
21.	A speech made without preparation	Extempore / बिना तैयारी के करना या बोलना
22.	The act of killing whole group of people, especially whole race	Genocide / जनसंहार
23.	Easily duped or fooled	Gullible / भोला - भाला

24.	Extreme fear of water	Hydrophobia / जलभीति
25.	A voice that cannot be heard	Inaudible / अश्राव्य
26.	That which cannot be called back	Irrevocable / अटल
27.	Detailed plan of a journey	Itinerary / यात्राक्रम
28.	Favouritism granted in politics or business to relatives	Nepotism / भाई-भतीजावाद
29.	A person who is well known in an unfavorable way	Notorious / कुख्यात
30.	That which cannot be seen through	Opaque / अपारदर्शी
31.	A person who looks at the bright side of things	Optimist / आशावादी
32.	To give up the throne	Abdicate / त्यागना
33.	An associate in crime	Accomplice / सह-अपराधी
34.	A list of thanks to be discussed in a meeting	Agenda / कार्यसूची
35.	One who is able to use both hands	Ambidextrous / उभयहस्त
36.	Capable of being interpreted in two ways	Ambiguous / अनेकार्थी
37.	General pardon for offences against the state	Amnesty / राज-क्षमा
38.	One who lives both on land as well as in water	Amphibian / उभयचर
39.	A sea or stretch of water having many islands	Archipelago / द्वीप समूह

40.	A place where government / public records are kept	Archive / लेखागार
41.	One who denies oneself ordinary bodily pleasures	Ascetic / तपस्वी
42.	A place where birds are kept	Aviary / पक्षीशाला
43.	Talking disrespectfully of sacred things	Blasphemy / ईश्वर निंदा
44.	A government by officials	Bureaucracy / नौकरशाही
45.	A person employed as a car driver for an important person	Chauffeur / मोटर- चालक
46.	A round-about way of expression	Circumlocution / शब्द- बाहुल्य

अध्याय – 2

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।**

- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।

- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है –
(i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
(ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

सरकारिया आयोग
गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –
- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश –
- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

पूंछी आयोग
गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूंछी

सिफारिश –
- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए ।

राजमन्नार आयोग
गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूंछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।

अनुच्छेद 156 इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है।

अर्थात राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।

- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है ।**

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ
1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते
1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानामंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (**7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा**) तो भी उसे वेतन । पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 159- राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा** दिलाई जाती है **राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।**

NOTE- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।

अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन
राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

<u>**राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -**</u>

1. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें **पद एवं गोपनीयता** की शपथ दिलाता है।
- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरुर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्रहता ओंके होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- अनुच्छेद 217 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है
- अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करें।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- अनुच्छेद 243 **K**-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 **ZA**- नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

7. **विशेष दायित्व**

- **अनुच्छेद 371** के तहत महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निर्धारित किए गए हैं महाराष्ट्र राज्यपाल विदर्भ व मराठवाडा तथा गुजरात का राज्यपाल कच्छ व सौराष्ट्र के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन कर सकते हैं।

- **अनुच्छेद 371(A)** के तहत नागालैंड में, **अनुच्छेद 371(F)** के तहत सिक्किम में, **अनुच्छेद 371(H)** के तहत अरुणाचल प्रदेश में **अनुच्छेद 371(J)** के तहत कर्नाटक में कानून व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपाल के विशेष दायित्व है।

अनुच्छेद- 361 राज्यपाल / राष्ट्रपति/ राजप्रमुख के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां –

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जासकती।
- जब वह अपने पद पर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है- (i) उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। (ii) सुचना में पक्षकारको अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति इत्यादि का विवरण देना होता है।

राजस्थान में राज्यपाल

- राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।
- राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी थे।
- 30 मार्च,1949 – 31 अक्टूबर, 1956 तक राजस्थान में राजप्रमुख का पद था। इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह-II को नियुक्त किया गया जो राजस्थान के पहले राज्यप्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है । 1 नवंबर, 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज्यप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।

  राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी ,दूसरी महिला राज्यपाल श्रीमती प्रभाराव तथा श्रीमती मार्गेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी।

- राज्यपाल डॉ संपूर्णानंद के कार्य काल में राज्य में पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।

अधिरोपण की तारीख	प्रत्यावर्तन की तारीख	राष्ट्रपति शासन लागु होने का कारण
13 मार्च 1967	26 अप्रैल 1967	चुनाव के अनिश्चित परिणाम
29 अप्रैल 1977	22 जून 1977	सरकार ने विधानसभा में बहुमत के समर्थन के बावजूत हरी देव जोशी को ख़ारिज कर दिया ।
16 फरवरी 1980	6 जून 1980	सरकार ने भैरोसिंह शेखावत को विधानसभा में बहुमत में समर्थन देने के बावजूद बखसित कर दिया था ।
15 दिसंबर 1992	4 दिसंबर 1993	सरकार ने भैरोसिंह शेखावत को विधानसभा में बहुमत से समर्थन देने के बावजूद बखसित कर दिया ।

Q. राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्टपति शासन लागु किया गया है ? (RAS. Pre. 2015, 2016)
(a) 5 बार
(b) 3 बार

(c) 6 बार
(d) 4 बार
उत्तर – d

- अब तक चार राज्यपाल की अपने पद पर रहकर मृत्यु हुई है -

1. दरबारसिंह (वर्ष 1998)
2. निर्मलचंद्र जैन (वर्ष 2003)
3. शैलेंद्रकुमार (वर्ष 2009)
4. प्रभाराव (वर्ष 2010)

NOTE – श्रीमती प्रभाराव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई ।

- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **मदन लाल खुराना**
- दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **प्रतिभा पाटिल**
- राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं- **बलिराम भगत**
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया- **रघुकुल तिलक**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल- **गुरुमुख निहाल सिंह**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल- **टी.वी. राजेश्वर**
- राजस्थान में अब तक 17 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने जा चुके हैं ।
- वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है ।
- राजस्थान के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंट आबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता है यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के ए. जी. जी. के रेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था ।

राजस्थान के राज्यपालों की सूची –

क्र.	राज्यपाल	कार्यकाल
1.	सवाई मानसिंह-II (प्रथम राजप्रमुख)	30 मार्च,1949 - 31 अक्टूबर,1956
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	1नवम्बर, 1956 – 15 अप्रैल, 1962
3.	डॉ.सम्पूर्णानंद	16 ,अप्रैल 1962 – 15 अप्रैल, 1967
4.	सरदार हुकुमसिंह	16 अप्रैल, 1967 – 19 नवम्बर, 1970
5.	जस्टिस जगतनारायण (कार्यवाहक)	20 नवम्बर, 1970 – 23 दिसम्बर, 1970
6.	सरदार हुकुमसिंह	24 दिसम्बर, 1970 – 30 जून, 1972
7.	सरदार जोगिन्दर सिंह	1 जुलाई, 1972 – 14 फरवरी, 1977
8.	जस्टिस वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15 फरवरी, 1977 – 11 मई, 1977
9.	श्री रघुकुल तिलक	12 मई, 1977 - 8 अगस्त, 1981
10.	जस्टिस के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 1981 – 5 मार्च, 1982
11.	एअरचीफमार्शल ओ.पी. मेहरा	6 मार्च, 1982 - 4 जनवरी, 1985
12.	जस्टिसपी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	5 जनवरी, 1985 – 31 जनवरी, 1985
13.	एअरचीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	1 फरवरी, 1985 - 3 नवम्बर, 1985
14.	जस्टिस डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	4 नवम्बर, 1985 – 19 नवम्बर, 1985
15.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	20 नवम्बर, 1985 – 14 अक्टूबर, 1987
16.	श्री वसन्तराव पाटिल	15 अक्टूबर, 1987 – 19 फरवरी, 1988
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20 फरवरी, 1988 – 2 फरवरी, 1989
18.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	3 फरवरी, 1989 – 19 फरवरी, 1989

19.	श्री सुख देव प्रसाद	20 फरवरी, 1989 – 2 फरवरी, 1990
20.	श्री मिला पचंद जैन (कार्यवाहक)	3 फरवरी, 1990 – 13 फरवरी, 1990
21.	प्रो. देवीप्रसाद चटोपाध्याय	14 फरवरी, 1990 – 25 अगस्त, 1991
22.	डॉ स्वरूप सिंह (कार्यवाहक)	26 अगस्त, 1991 -4 फरवरी, 1993
23.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	5 फरवरी, 1992 – 30 मई, 1993
24.	श्री धनिक लाल मंडल (कार्यवाहक)	31 मई, 1993 – 29 जून, 1993
25.	श्री बलि राम भगत	30 जून, 1993 – 30 अप्रैल, 1998
26.	सरदार दरबारा सिंह	1 मई, 1998 – 23 मई, 1998
27.	श्री एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक)	24 मई, 1998 – 15 जनवरी, 1999
28.	जस्टिस अंशुमान सिंह	16 जनवरी, 1999 – 13 मई, 2003
29.	श्री निर्मल चंद्र जैन	14 मई, 2003 – 13 जनवरी, 2004
30.	श्री कैलाश पति मिश्रा (कार्यवाहक)	22 सितम्बर, 2003 – 13 जनवरी, 2004
31.	श्री मदनलाल खुराना	14 जनवरी, 2004 – 31 अक्तुबर, 2004
32.	श्री टी.वी. राजेश्वर (कार्यवाहक)	1 नवम्बर, 2004 – 7 नवम्बर, 2004
33.	श्री मति प्रतिभा पाटिल	8 नवम्बर, 2004 – 23 जून, 2007
34.	डॉ ए. आर. किदवई (कार्यवाहक)	23 जून, 2007 – 5 सितम्बर, 2007
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	6 सितम्बर, 2007 – 9 जुलाई, 2009
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10 जुलाई, 2009 – 22 जुलाई, 2009
37.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिंह	23 जुलाई, 2009 – 24 जनवरी, 2010
38.	श्री मती प्रभाराव (कार्यवाहक)	03 दिसम्बर, 2009 – 24 जनवरी, 2010
39.	श्रीमती प्रभाराव	25 जनवरी, 2010 – 26 अप्रैल, 2010
40.	श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	28 अप्रैल, 2010 – 11 मई, 2012
41.	श्रीमती मार्पोट आलवा	12 मई, 2012 – 7 अगस्त, 2014
42.	श्री रामनाईक (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 2014 – 3 सितम्बर, 2014

43.	श्री कल्याणसिंह	8 सितम्बर, 2014- 8 सितम्बर, 2019
44.	श्री कलराज मिश्र	9 सितम्बर, 2019 से लगातार ....

प्रश्न:- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है ?(RAS. Pre. 2016)
(A) ओ. पी. कोहली
(B) रामनरेश यादव
(C) राम नायक
(D) मार्गनेट अल्वा
उत्तर -(C)

प्रश्न:- गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल 'नियुक्त किया गया था । (RAS. PRE-2021)
(1) 25 अक्टूबर, 1956 को
(2) 26 अक्टूबर, 1956 को
(3) 2 नवम्बर, 1956 को
(4) 1 नवम्बर, 1956 को
उत्तर - (4)

अभ्यास प्रश्न

1. राज्य के राज्यपाल को
i. राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिकशक्तियाँप्राप्तहोतीहैं।
ii. उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है ।
iii.उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है ।
iv. विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बँटवारें का अधिकार प्राप्त होता है ।
उपर्युक्त में से सही कथन हैं-
A. i और ii
B. ii, iii और iv
C. i और iv
D. i, iii और iv
उत्तर (C)

2. कथन (A) राज्यों में मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है ।
कारण (R) - भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कोई कार्य ' अपने विवेक में ' करने की शक्ति नहीं देता ; यह राज्यपाल को कुछ कार्य ' अपने विवेक में ' करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
कूट-
A. A और **R** दोनों सही हैं और **R** , **A** का सही स्पष्टीकरण है
B. A और **R** दोनों सही हैं , परन्तु **R. A** का सही स्पष्टीकरण नहीं है
C. A गलव है , परन्तु **R** सही है
D. A सही है , परन्तु **R** गलत है
उत्तर (C)

3. निम्नांकित में कौनसा अधिकार राज्यपाल को है
A. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
B. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
C. राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
D. उपर्युक्त सभी
उत्तर (A)

4. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है
A. राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153
B. राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155
C. राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156
D. राज्यपाल पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 159
उत्तर (D)

5.राजस्थान में डी- ज्यूरी हेड होता है
A. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
B. मुख्यमंत्री
C. मुख्य सचिव
D. राज्यपाल
उत्तर (D)

6. निम्नलिखित में से कौनसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है ?
A. स्वविवेकीय
B. वीटो पॉवर
C. अध्यादेश जारी करना
D. परामर्शकारी शक्ति
उत्तर (D)

7. राजस्थान में मार्च 2021 के अंत तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है ?

a. 11287 b. 10287
c. 9287 d. 8287

Ans. (b)

8. कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न विभागों और जिलों को एसडीआरएफ मत से कितनी राशि आवंटित की गई?

a. ₹630.64 करोड़ b. ₹730.64 करोड़
c. ₹830.64 करोड़ d. ₹930.64 करोड़

Ans. (b)

9. राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है ?

a. 9,618 किमी. b. 20,618 किमी.
c. 10,710 किमी. d. 10,618 किमी.

Ans. (d)

10. राजस्थान में ग्रामीण सड़क की कुल लंबाई कितनी है?

a. 2,83,086 किमी. b. 1,83,086 किमी.
c. 3,83,086 किमी. d. 4,83,086 किमी.

Ans. (b)

अध्याय – 5

प्रमुख विकास परियोजनायें

बंजर भूमि विकास कार्यक्रमः-

- समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी।
- यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1995 से जलग्रहण विकास पद्धति के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- राजस्थान में बंजर भूमि विकास विभाग, की स्थापना **जुलाई, 1982 ई.** में की गई थी।
- समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान के दस जिलों जयपुर, सीकर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर व पाली में 1992-93 ई. से संचालित है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संतुलन व परिवेश संतुलन बनाए रखना है तथा वनों की कटाई पर रोक लगाना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत मरु क्षेत्र के पूर्व में विस्तार पर रोक लगाना तथा अरावली व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बसी जनजातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है।
- राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार जैसलमेर जिले में तथा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्र राजसमंद जिले में विस्तृत है।

मरु विकास कार्यक्रम

- मरु विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 1977-78 ई. में किया गया था। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा 1985 ई. से पूर्णतः वित्तीय रूप से संचालित है।
- भारत सरकार के द्वारा मरुस्थल के प्रसारण को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए।
- 1 अप्रैल, 1999 ई. से केन्द्र तथा राज्य सरकार का अंश 75:25 प्रतिशत का हो गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा वानिकी का विकास, लघु सिंचाई सुविधाएं, भूमिगत जल का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि है।
- यह कार्यक्रम राज्य के 16 ज़िलों के 85 विकास खण्डों में संचालित है जो हैं - जैसलमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, चूरू, जालोर, झुंझुनूं, अजमेर, सिरोही, जयपुर, सीकर, राजसमंद एवं उदयपुर

सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (BADP):-

प्रारंभ :- सन् 1986-1987

सम्मलित क्षेत्र :- अंतराष्टीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलो के 13 विकास खंडो को सम्मलित किया गया

कार्यक्रम का उद्देश्य :- संसाधनो को विकसित करना व सुरक्षा व्यवस्था को कारगार बनाने के उद्देश्य से 7वीं पंचवर्षीय योजना मे प्रारंभन करना

इस योजना का वितपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है

यह कार्यक्रम केंद्र सरकार वर्ष 1993-94 से पुनः मोडीफाइड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से प्रारंभ किया गया।

मरू प्रसार रोक योजना(CDP) :-

सम्मलित क्षेत्र :- राज्य के 10 मरूस्थलीय जिले बाडमेर, बीकानेर, चुरु, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुझँनु, नागौर, पाली एंव सीकर

वित पोषण :- मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पोषण किया जाता है

सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAD):-

सम्मलित क्षेत्र :- राज्य के 11 जिलो यथा बासँवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड, कोटा, बाराँ, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, एंव भरतपुर के 32 विकास खंडो मे लागू

वित पोषण :- केंद्र सरकार के द्वारा 75 प्रतिशत व राज्य सरकार के द्वारा 25 प्रतिशत

जलग्रहण विकास कार्यक्रम

1995 में शुरू। राष्ट्रीय बंजर भूमि अद्यतनीकरण मिशन (N.W.U.M.) की शुरूआत वर्ष 2003 में की गई।

मरुगोचर योजना

राजस्थान के **मरुस्थलीय जिलों** में पारम्परिक जल स्रोतों की बहाली तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करने हेतु 2003-04 से राज्य के 10 जिलों में प्रारम्भ योजना।

राष्ट्रीय परती **भूमि विकास बोर्ड** ने परती भूमि को 13 वर्गों में विभाजित किया हैं।

- **राज्य में सर्वाधिक परती भूमि** :- चूरू जिला।
- **राज्य में न्यूनतम परती भूमि वाला जिला** :- भरतपुर।
- **लवणीय भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र** :- पाली में।
- **राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना** :- 1960 में।
- राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग का हैं।
- **राजस्थान में बंजर भूमि** :- 38.95 लाख हैक्टेयर (11.37%)

मरु विकास एवं बंजर भूमि कार्यक्रम

भौतिक दृष्टि से राजस्थान को **अरावली पर्वत शृंखला** ने दो भागों में विभक्त कर दिया हैं।

राजस्थान के **उत्तरी पश्चिमी भाग** में स्थित 13 जिलों में से **12 जिले मरुस्थलीय** हैं जिनका विस्तार **उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व** की ओर लगभग **640 किमी.** तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 किमी. भू-भाग पर है। इसका क्षेत्रफल लगभग **1,75,000 वर्ग किमी.** हैं जिसमें राज्य की लगभग **40% जनता** निवास करती हैं।

राज्य के **गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर तथा जालोर** इस मरु क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान का **मरु प्रदेश** वर्षा की अल्प मात्रा के कारण प्रायः सूखा एवं अकाल से पीड़ित रहता हैं। धूल भरी आँधियों के फलस्वरूप स्थान-स्थान पर रेत के ऊँचे टीले अर्थात धोरे दिखाई देते हैं, जो अपने स्थान तेज हवाओं व आँधियों के कारण बदलते रहते हैं।

1962 के **भू-सर्वेक्षण के अनुसार वैज्ञानिकों** का मानना हैं कि यह मरु क्षेत्र **गंगा-सिंधु** के उपजाऊ मैदान का ही एक भाग हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से ही मरु प्रदेश को विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं:-

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना

31 मार्च, 1958 को परियोजना का शिलान्यास। मरु क्षेत्र विकास की दृष्टि से यह योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

मरु विकास कार्यक्रम

1977-78 ई. में केन्द्र सरकार की 100% सहायता से प्रारम्भ किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य **मरुस्थल** के विस्तार को रोकना तथा मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास करना हैं।

इस कार्यक्रम हेतु **1 अप्रैल, 1999** से कोष आवंटन का तरीका बदलकर 75% केन्द्र सरकार व 25% राज्य सरकार द्वारा देय कर दी गई हैं। वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण **भू-जल अन्वेषण** एवं दोहन, चरागाह विकास, वन विकास, सिंचाई, डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य, सिल्वी पास्टोरल रोपण स्थली, टीलों का स्थिरीकरण आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया।

मरुकरण संघाती परियोजना

1999-2000 से क्रियान्वित। **10 मरुस्थली जिलों** में संचालित।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (Ist Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (Ist शिफ्ट)	79 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2^{nd} शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1^{st} शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2^{nd} शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1^{st} शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1^{st} शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1^{st} शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12^{th} level	04 February 2023 (1^{st} शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/3ewvb9

Online order करें – https://shorturl.at/dlvHQ

Call करें - 9887809083